न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 166/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र देवलीलाल, आयु 52 वर्ष, जाति तेली

2– रतनबाई पुत्री देवीलाल, आयु 48 वर्ष, जाति तेली

3– चन्दाबाई पुत्री देवीलाल, आयु 44 वर्ष, जाति तेली

4– गुलाबबाई पत्नी देवीलाल, आयु 70 वर्ष, जाति तेली

निवासीगण मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति तेली, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2– कल्याण पुत्र नन्दालाल, जाति तेली, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– विजय कुमार पुत्र हरिनारायण, जाति तेली, निवासी मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह हाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध राजस्थान ★ कोटा ★

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना एवं श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।।

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 26.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 37/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी मांगीलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ग्राम मनोहरथाना, तहसील मनोहरथाना की माल की खाता संख्या 562 की खसरा नम्बर 304 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 18 बिस्वा कुल 3 किता की 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 की शामलाती खाते में दर्ज है तथा बालचन्द पुत्र जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा जो वादी का सगा भाई था जो लाऔलाद फौत हो चुका है उसके जायज वारिस व कायम मुकामान उसका भाई एक मात्र वादी होना बीरमचन्द के हिस्से की 1/4 आराजी का वादी को खातेदार होने की घोषणा चाहते हुए वादी के हिस्से की 1/2 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने की प्रार्थना की । प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये

टंकणकर्ता
कोटा
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

प्रकरण को दिनांक 15.07.2016 को लोक अदालत केम्प कामखेड़ा में रखा जाकर बगैर पूर्ण तहकीकात, साक्ष्य लिये आनन–फानन में बगैर किसी राजीनामे के वाद वादी निर्णीत कर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में मनमाने तरीके से लोक अदालत में बिना अपीलांट की उपस्थित एवं बगैर राजीनामा पेश हुए निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पत्रावली प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 7 की तलबी में नियत थी । अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य का अवसर भी नहीं दिया गया जबकि प्रकरण में जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण को मेरिट पर निर्णीत किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त पक्षकारों की तलबी व उनका जवाबदावा व साक्ष्य लिये बगैर निर्णय पारित करने में कानून की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट मृतक बिरमचंद के वारिसान हैं एवं मृतक बीरमचन्द अपीलांट के साथ ही रहता था उनके कोई औलाद नहीं थी, मृतक बीरमचन्द की सेवा चाकरी अपीलांट ने की है इससे प्रसन्न होकर मृतक बीरमचन्द ने अपने जीवनकाल में उनके हिस्से की आराजी अपीलांट को दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2018–19 (सप्लीमेंट्री) पेज 394 एवं आर.आर.टी. 2017(1) पेज 446 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली अपीलांट प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 की तलबी एवं जवाब में चल रही थी । दिनांक 15.07.2016 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णय करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया गया है। राजस्व लोक अदालत में विधि अनुमत आपसी सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है । इस प्रकार जहां दोनों पक्ष सहमत नहीं हो वहां पर प्रकरण में साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी कर अर्थात् सुनवाई का विधि अनुसार अवसर देकर तनकीवार विवेचन करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वाद तलबी व जवाब में चल रहा था तथा प्रतिवादीगण की तलबी नहीं हुई है। स्पष्ट है कि लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से निर्णय पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का विधि अनुसार अवसर देकर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ग्रु.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देकर तनकीवार विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2022

(डॉ0 अनुपमा ~~टेलर~~)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा